

## प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवादित रूप से गैर वन भूमि है, एवं इसका शासनादेश संख्या VIP- 23/14-2-2019-190 जी /2018 , दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर -2 में वर्णित बिन्दुओके अनुसार परीक्षण कर लिया गया है ।



उपजिलाधिकारी  
मानिकपुर



उप प्रभागीय वनाधिकारी  
चित्रकूट



प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट  
उप प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट  
RS प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

UltraTech Cement Limited  
Unit: Dulla Cement Works

Authorised Signatory


1879/ST-SDMC mbp


क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जांच आख्या  
तहशील मानिकपुर, जनपद चित्रकूट


क्रमांक	ग्राम	वर्तमान आ. सं.	क्रमांक	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए.आर.ओ के अनुसार		1359 फ. नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	चेरुआ - केसरुआ	1689	17.10	पड़ती	-	-	-	-	पड़ती	वन भूमि गजट में विज्ञापित नहीं है	हां	हां	हां
		1690	0.57		-	-	-	-					
		1691	2.19		-	-	-	-					
		1692	0.86		-	-	-	-					
		1693	2.02		-	-	-	-					
		1694	0.86		-	-	-	-					
		1695	0.32		-	-	-	-					
		1696	0.84		-	-	-	-					
		1697	2.34		-	-	-	-					
		1698	4.84		-	-	-	-					


निष्कर्ष :- उत्तरप्रदेश शासन राजस्व अनुभाग -1 संख्या -1773/एक -1-2019-24(1)/2018 लखनउ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना ततः आवेदक संख्या अल्ट्राटेक के ओर से डाला सीमेंट वर्क्स के यूनिट हेड द्वारा दिया गए पत्र संख्या UTCL/DLCW/DM/2025/6 दिनांक 03/09/2025 के क्रम में जनपद चित्रकूट, तहशील - मानिकपुर ग्राम चेरुआ केसरुआ में कुल 10 गाटा कुल रकवा 31.94 हेक्ट. वांछितवन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वतन पर रखने की सर्ष अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपुक्ताता हेतु राजस्व अभिलेखो की जाच की गई। जाँच के कुल कुल 10 गाटा कुल रकवा 31.94 हेक्ट. भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पाई गई। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाणपत्र पूर्व में जारी किया जा चुका है।

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
मानिकपुर

  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
उप. प्रभागीय वनाधिकारी  
चित्रकूट


  
तहशीलदार  
मानिकपुर


  
उपजिलाधिकारी  
मानिकपुर


UltraTech Cement Limited  
Unit: Dawa Cement Works  
  
Authorised Signatory

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवादित रूप से गैर वन भूमि है, एवं इसका शासनादेश संख्या V.I.P.-23/14-2-2019-190जी/2018Date-28जून, 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।

  
उप जिलाधिकारी,  
मानिकपुर।

  
उप प्रयागीय वनाधिकारी  
चित्रकूट

  
सहायगीय वनाधिकारी, सीनापुरी टाइगर रिजर्व/  
उप प्रयागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

Unit: Data Control Unit


Authorised Signatory

क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जांच आख्या  
तहसील-मानिकपुर, जनपद-चित्रकूट।


क्र.	ग्राम	वर्तमान आ.सं.	रकवा हे.में.	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार	ए.आर. ओ. के अनुसार	1359फ. नवैयत	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
1	कुसमी	117	24.955	कृषि	-	-	बंजर	हां		
2		118	0.280	नाला	-	-	नाला			
3		119	19.810	बंजर	-	-	बंजर			
4		120	0.805	बंजर	-	-	बंजर			
5		121	0.936	बंजर	-	-	बंजर			
6		122	0.236	बंजर	-	-	बंजर			
7		123	0.390	बंजर	-	-	बंजर			
8		124	0.700	बंजर	-	-	बंजर			
9		125	0.901	बंजर	-	-	कदीम			
10		126	0.928	बंजर	-	-	कदीम			
11		127	1.601	बंजर	-	-	बंजर			
12		128	0.035	बंजर	-	-	बंजर			
13		129	0.971	बंजर	-	-	बंजर			
14		130	1.391	तालाब	-	-	तालाब			
15		131	1.103	भीटा	-	-	भीटा			
16		132	25.505	कृषि	-	-	बंजर			


निष्कर्ष :- उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018, लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 द्वारा जारी अधिसूचना ततः आवेदक संख्या अल्ट्राटेक के ओर से डाला सीमेंट वर्क्स के यूनिट हेड द्वारा दिये गए पत्र संख्या UTCL/DLCW/DM/2025/75 दिनांक 25.08.2025 के क्रम में जनपद-चित्रकूट, तहसील-मानिकपुर ग्राम कुसमी में कुल 16 गाटा कुल रकवा 40.254 हे. वांछित वन भूमि के समस्त अन्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की राई अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों की जांच की गई। जांच के दौरान गाटा सं. 117 लगायत 132 श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जो अभिलेखीय परिधान में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी।

1891/ST-SDM(MKP)

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी,  
मारकुण्डी-।

  
उपप्रमाणीय वनाधिकारी,  
चित्रकूट।

  
तहसील  
मानिकपुर।

  
उप जिलाधिकारी,  
मानिकपुर।



क्र.सं.	संज्ञा का नाम	संज्ञा का क्र.सं.	वर्ण	संज्ञा का विवरण (कोई भी हो)	पा/पु/ल	श.आ. सं. सं. सं. सं.	1359 संज्ञा का संज्ञा संज्ञा संज्ञा	संज्ञा का संज्ञा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुखी	117	24.155	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
2	सुखी	118	0.280	गाजा	-	-	गाजा	संज्ञा का संज्ञा
3	"	119	19.810	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
4	"	120	0.805	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
5	"	121	0.963	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
6	"	122	0.263	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
7	"	123	0.350	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
8	"	124	0.700	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
9	"	125	0.901	वेज	-	-	जडीम-1	संज्ञा का संज्ञा
10	"	126	0.928	वेज	-	-	जडीम-1	संज्ञा का संज्ञा
11	"	127	1.601	वेज	-	-	पु-1 वेज	संज्ञा का संज्ञा
12	"	128	0.035	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
13	"	129	0.971	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
14	"	130	1.391	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
15	"	131	1.103	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा
16	"	132	25.505	वेज	-	-	वेज	संज्ञा का संज्ञा

12-09-2025  
रामकिशोर सिंह  
लेखपाल क्षेत्र-...

गुरु चरण पाण्डेय  
राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र-...  
दिनांक-72-89-25

UltraTech Cement  
Unit: Delhi  
Authorised Signatory

2/61

कार्यालय उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

पत्रांक : / 33-1 / दिनांक, चित्रकूट, अगस्त, 29, 2025

उप जिलाधिकारी,  
मानिकपुर, चित्रकूट।

विषय : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में रकबा 344.688 हे० आरक्षित वन भूमि में खनन की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील-मानिकपुर के ग्राम-कुसमी में उपलब्ध करायी जा रही 40.254 हे० गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० का पत्रांक-UTCL/DLCW/DM/2025/75, दिनांक 25.08.2025 एवं उ०प्र० शासन के वी०आई०पी० शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28.06.2019

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जिला-चित्रकूट, तहसील-मानिकपुर के ग्राम-कुसमी में 40.254 हे० गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

अतः उक्त गैर वन भूमि का उत्तर प्रदेश शासन के वी०आई०पी० शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के अनुसार उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

2/10

AI

श्री० निदेशक/उप निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी/चित्रकूट

(प्रत्युष कुमार कटियार)

(आई०एफ०एस०)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/  
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

SDM-MKP

20-9-25

कृते-जिलाधिकारी-715 अ/समदिनांक।

चित्रकूट  
Tehsildar-MKP

कृपया निर्देशानुसार  
आवश्यक कार्यवाही कर  
अवगत कराएँ।

SDM-MKP  
03-09-25

उप निदेशक चित्रकूट  
आक प्राप्ति 20 अगस्त 2025  
आक 1560(17) दिनांक  
आक 01-5-2025

(प्रत्युष कुमार कटियार)

(आई०एफ०एस०)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/  
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

UltraTech Cement Ltd.  
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory


## वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या


## तहसील सदर जनपद मीरजापुर


क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ० के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	सिन्धौरा	1000मि	5.263	पहाड़	-	-			पहाड़	वन भूमि गजट में विज्ञापित नहीं है	हाँ	हाँ	हाँ
2		1007	39.911	पहाड़	-	-			पहाड़	वन भूमि गजट में विज्ञापित नहीं है	हाँ	हाँ	हाँ

निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आवेदक संस्था अल्ट्राटेक की ओर से डाला सीमेण्ट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यू०टी०सी०एल०/डी०एल०सी०डब्लू०/डी०एम०/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील सदर, मीरजापुर के कुल 02 गाटा कुल रकबा 45.174हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों जाँच की गयी। जाँच में कुल 02 गाटा कुल रकबा 45.174हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पश्चात निर्गत किया जायेगा।

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
चुनार

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर/चुनार

  
तहसीलदार  
सदर

  
उपजिलाधिकारी  
सदर

UltraTech Cement Limited  
Unit: Dalla Cement Works  
Authorised Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।

N  
31/03/2025  
उप जिलाधिकारी  
सदर, मीरजापुर।

31/3/25  
प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर  
वन प्रभाग, मीरजापुर।

UltraTech Cement Limited  
Unit: Dalla Cement Works  
Authorised Signatory

**वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या  
तहसील चुनार जनपद मीरजापुर**


क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा (हे०)	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ० के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	चक गम्भीरा	114मि०	127.502	पहाड़	चकबन्दी नहीं हुई है।		सर्वे नहीं हुआ है।		श्रेणी 15(4)	गाटा संख्या 114मि० के कुल रकबा 138.80 हे० का 114 मि० भाग रकबा 11.306 सोनवन खण्ड उत्तरी मीरजापुर/जो राज्य सरकार के वन विभाग के अन्तर्गत वन भूमि दर्ज है जिस पर वन विभाग वर्तमान में काबिज है।	हाँ	हाँ	हाँ


**निष्कर्ष** - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आवेदक संस्था अल्ट्राटेक की ओर से डाला सीमेण्ट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यू०टी०सी०एल०/डी०एल०सी०डब्लू०/डी०एम०/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार, मीरजापुर के कुल 01 गाटा कुल रकबा 127.502हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों जाँच की गयी। जाँच में गाटा संख्या 114 मि० कुल रकबा 127.502हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् निर्गत किया जायेगा।

  
तहसीलदार  
चुनार

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
चुनार


  
उप प्रभागीय वनाधिकारी,  
चुनार


  
उप जिलाधिकारी  
चुनार



  
UltraTech Cement Limited  
Unit: Dalla Cement Works  
Authorised Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।

  
31/03/2025  
उप जिल्हाधिकारी  
चुनार, मीरजापुर।

  
31/3/25  
प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर  
वन प्रभाग, मीरजापुर।

  
Ultra Tech Cement Limited  
Ultra Tech Cement Works  
Authorised Signatory  


## वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या

(मीरजापुर वन प्रभाग एवं कैभूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर)

तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर

क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा(हे०)	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ० के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	महोखर	14ग	0.025	पथरीली			14ग	134मि०	पथरीली	प्रश्नगत गाटा वन भूमि के रूप में विज्ञापित नहीं है।	हाँ	हाँ	हाँ
		15ख	0.506*	पथरीली			15ख	134मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		16क	3.506*	पथरीली			16क	5मि०	नाला	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
								134मि०	पथरीली				
								135मि०	बंजर				
								160मि०	नाला				
								170मि०	पथरीली				
		17क	0.101	पथरीली			17क	170मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		19ख	0.126	पथरीली			19ख	170मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		45ग	0.025	पथरीली			45ग	169मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		48ख	0.19	पथरीली			48ख	169मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		50क	0.038	पथरीली			50क	102मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		71ख	0.190*	पथरीली			71ख	149मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		72घ	0.139	पथरीली			72घ	149मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		76क	6.000*	पथरीली			76क	2	बंजर	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
								3	बंजर				
								6	बंजर				
								7मि०	बंजर				
								8मि०	बंजर				
								9मि०	बंजर				
								12	बंजर				
								14	बंजर				
								15	बंजर				
								16	बंजर				
								99	बंजर				
								106	बंजर				
		87ख	0.025	पथरीली			87ख	102मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ

Ultra Tech Cement Limited  
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

		91ख	0.531	पथरीली		91ख	96मि०	भीटा	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							97मि०	तालाब				
							98मि०	भीटा				
2	पौड़ी रामपुर	258घ	0.253	पथरीली		258घ	384मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							389मि०	कास्त				
							408	कास्त				
		438घ	5.729	पथरीली		438घ	388/1मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		474ख	6.717	पथरीली		474ख	339	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							357/1	पथरीली				
		477ड	1.999	पथरीली		477ड	422	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		500ख	1.417	पथरीली		500ख	437मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		501ख	0.19	पथरीली		501ख	437मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		482ख	0.836	पथरीली		482ख	438	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		477गमि०	0.62	पथरीली		477गमि०	416	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							419	कास्त				
		473ख	0.278	पथरीली		473ख	342मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							349मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार			
		442ख	0.076	पथरीली		442ख	369मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
3	वरहुला	85	7.735	पथरीली		85	83	पथरीली	प्रश्नगत गाटे की नवीयत बंजर झाड़ी में दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 11 दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
							84मि०	पथरीली				
							85	बंजर-झाड़ी				
							86/1	बंजर-झाड़ी				

UltraTech Cement Limited  
Unit Dehra Dun Works

Authorised Signatory

	102क	4.962	पथरैल			102क	94मि०	कास्त	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
							96मि०	पथरीली				
	107च	0.645	नई परती			107च	107मि०	कास्त	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
							106मि०	कास्त				
	126क	0.341	बंजर			126क	111मि०	बंजर	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
	135च	6.007*	बंजर			135च	133	बंजर-झाड़ी	प्र नगल गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी में दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1 न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
							110	बंजर-झाड़ी				
							111मि०	बंजर-झाड़ी				
							84मि०	पथरीली				
							132मि०	बंजर-झाड़ी				
	141	1.48	बंजर			141	144मि०	बंजर-झाड़ी	प्र नगल गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी में दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1 न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
	143	0.304	बंजर			143	139मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
	144	2.162	बंजर			144	150मि०	बंजर	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं

Authorized Signatory

		145	0.278	बंजर		145	150मि०	बंजर-झाड़ी	प्र नगत गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(०) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
		147	1.417	बंजर		147	154मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
		148क	1.163	बंजर		148क	196मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
		148ख	1.871	बंजर		148ख	155	पथरीली	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
							156मि०	बंजर-झाड़ी				
		148ग	1.77	बंजर		148ग	156मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
		151क	0.544	बंजर		151क	149	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
							160	बंजर-झाड़ी				
							161	बंजर-झाड़ी				
							162	बंजर-झाड़ी				
							163	बंजर-झाड़ी				
							164	बंजर-झाड़ी				
							165	बंजर-झाड़ी				
							166	बंजर-झाड़ी				
		153मि०	3.542*	नई परती		153क	135	पथरीली	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
		153	4.339*	बंजर			136	पथरीली	153 ख का पुराना गाटा सं० धारा 20 के गजट में विज्ञापित है। जितका क्षेत्रफल 124.075हे० है। प्र नगत गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(०) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
							137	बंजर-झाड़ी				
							138	पथरीली				
							139मि०	बंजर-झाड़ी				
							141	बंजर-झाड़ी				
							142	नाला				
							143	बंजर-झाड़ी				
							144मि०	बंजर-झाड़ी				
							200	बंजर-झाड़ी				
							201	बंजर-झाड़ी				

Ultra Tech Cement Limited  
Unit: Dalla Cement Works

Author's Signatory

							202	बंजर-झाड़ी				
							203	पथरीली				
							205	बंजर-झाड़ी				
							199मि0	बंजर-झाड़ी				
							152	नाला				
						153ख	204	बंजर-झाड़ी		नहीं	नहीं	नहीं
							207	नाला				
							208	बंजर-झाड़ी				
							209	बंजर-झाड़ी				
							210	पथरीली				
							211	बंजर-झाड़ी				
							212	बंजर-झाड़ी				
							213	बंजर-झाड़ी				
							214	बंजर-झाड़ी				
							215	बंजर-झाड़ी				
							216	बंजर-झाड़ी				
							217	बंजर-झाड़ी				
							218	बंजर-झाड़ी				
							219	बंजर-झाड़ी				
							220	बंजर-झाड़ी				
							221	बंजर-झाड़ी				
4	बडोहा	623क	6.930*	पथरीली		623क	213	कास्त	प्रश्नगत गाटा वन भूमि के रूप में विज्ञापित नहीं हैं।	हाँ	हाँ	हाँ
		649घ	4.000*	पथरीली		649घ	146	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		651	22.302*	पहरी		651	174	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		561ड	15.224*	पहरी		561ड	414	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
5	मतवार	54ख	0.051	जंगलझाड़ी		54ख	133मि0	नाला	प्र नगत गाटे की नवेयत जंगलझाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं

Uthmaniyah Cement Limited  
Unit, Dair - Cement Works

Authorized Signatory

	54गमि०	1.187*	जंगलझाड़ी		54गमि०	49/2मि०	बंजर	प्र नगत गाटे की नवयत जंगलझाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 11 दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है। 54मि० रकबा 0.013 हे० बी०टी०एस० टावर य 54मि० रकबा 0.040हे० पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नाम आरक्षित किया गया।	नहीं	नहीं	नहीं
						94	बंजर				
						96	बंजर				
	56ख	0.708	जंगलझाड़ी		56ख	158	बंजर	प्र नगत गाटे की नवयत जंगलझाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 11 दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
						166मि०	बंजर				
						169मि०	बंजर				
						170मि०	बंजर				
	59ख	3.49	जंगलझाड़ी		59ख	180	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						185	बंजर				
						317	बंजर				
						322	बंजर				
						324	बंजर				
						316	बंजर				
						186	बंजर				
	59ङ	3.971	जंगलझाड़ी		59ङ	319मि०	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						272	कारस्त				

						310मि०	कास्त				
						177	बंजर				
						178	बंजर				
						179	बंजर				
						314	बंजर				
	61ख	2.845	जंगलझाड़ी		61ख	208	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						222	बंजर				
						297	बंजर				
	65ख	12.633	जंगलझाड़ी		65ख	829	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						831	बंजर				
						836	बंजर				
						840	बंजर				
						843	बंजर				
						841	बंजर				
						846	बंजर				
						844	बंजर				
						837	बंजर				
						839	बंजर				
						838	बंजर				
						946	बंजर				
	69ख	1.328	जंगलझाड़ी		69ख	977	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						976	बंजर				
	488ख	5.919	जंगलझाड़ी		488ख	1212मि०	नाला	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						1184	बंजर				
						1208	बंजर				
						1211	बंजर				
						1213	बंजर				
						1217	बंजर				
						1220	बंजर				
						1221	बंजर				
						1223	बंजर				
	499ख	2.276	जंगलझाड़ी		499ख	1312मि०	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
	506घ	1.934	जंगलझाड़ी		506घ	1147/2	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						114/2मि०	बंजर				
						1102/2	कास्त				
	781ख	1.252	जंगलझाड़ी		781ख	2633	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						2636	बंजर				
						2637	बंजर				

UltraTech Cement Limited  
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

6	परसिया मुड़पेती	2क	2.000*	पथरीली			2क	60मि०	पथरीली	प्रश्नगत गाटा यन भूमि के रूप में दिखायित नहीं है।	हां	हां	हां	
								61मि०	बंजर					
								62मि०	पथरीली					
								63मि०	बंजर					
		4छ	8.000*	पथरीली			4छ	65मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हां	हां	हां	
								67मि०	कास्त					
								82मि०	कास्त					
								86मि०	कास्त					
								73	कास्त					
								75	कास्त					
								77	कास्त					
								80	कास्त					
		686घ	22.600*	पथरीली			686घ	514मि०	पथरीली		उपरोक्तानुसार	हां	हां	हां
								517मि०	पथरीली					
								77मि०	कास्त					
								502मि०	पथरीली					
								518	पथरीली					
								506	पथरीली					
								504	पथरीली					
								510	पथरीली					
								512	पथरीली					
								435मि०	नाला					
								500मि०	बंजर					
								508	बंजर					
		995ख	2.000*	पथरीली			995ख	474मि०	कास्त		उपरोक्तानुसार	हां	हां	हां
								487	कास्त					
								490मि०	बंजर					
		998च	5.000*	पथरीली			998च	458	पथरीली		उपरोक्तानुसार	हां	हां	हां
								460	पथरीली					
								462मि	पथरीली					
								465	पथरीली					
								468	पथरीली					
								470मि	पथरीली					
								472	पथरीली					
								474	पथरीली					
								477	पथरीली					
								479	पथरीली					

UltraTech Cement Limited  
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

							463	पथरीली				
							473मि	पथरीली				
7	पुराकाशीनाथ	मि0235	18.046	पहाड़	235क	335/1	375क	627	बंजर	नई परती	नहीं	नहीं
								626	रास्ता			
								625	झाड़ी	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नदीयत का अंश भाग झाड़ी के रूप में दर्ज हैं। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त		
					235ख	335/2	375ख	624मि0	कास्त	दुर्गेश्वर वर्ग0		
					235ग	335/3	375ग	556मि0	कास्त	पहाड़		
8	मानिकपुर	3छ	9.131	पहाड़	3छ	161/23मि0	161क	82	बंजर		हाँ	हाँ
								65मि0	नाला			
								129	कास्त			
							161ख	70	बंजर			
								77	बंजर			
								2/755	कास्त			
							161ग	2	बंजर			
								91मि0	बंजर			
							161घ	64मि0	बंजर			
								66	कास्त			
							161ङ	76/1मि0	कास्त			
								74	कास्त			
								73	कास्त			
								71/1	कास्त			
								69/1	कास्त			
							161च	81	कास्त			
								83	कास्त			
								80	कास्त			
								120मि0	कास्त			
								72	कास्त			
							161छ	84	कास्त			
								86मि0	कास्त			
								92मि0	कास्त			
								72	कास्त			
							161ज	85	कास्त			

UltraTech Cement Limited  
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

								79	कास्त				
								78	कास्त				
								76/3	कास्त				
							161झ	121मि०	बंजर				
								122मि०	बंजर				
								75	बंजर				
							161ञ	126	बंजर				
							161ट	71/2	कास्त				
							161ठ	68	कास्त				
								69/2	कास्त				
							161ड	5/1मि०	कास्त				
							161ढ	76/2मि०	बंजर				
							161ण	76/2मि०	बंजर				
							161त	62	कास्त				
								63	कास्त				
								67	कास्त				
9	नौदर	1क	17.769*	पहाड़	1क	1/1मि०	1/1मि०	1	झाड़ी	प्रश्नगत गाटे में 1368 फसली की नवैयत झाड़ी के रूप में दर्ज हैं। जो कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2030 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं।	नहीं	नहीं	नहीं
10	उरुआ	64ष	3.718	पहाड़	64ष	81/11मि०	81क	177	झाड़ी	प्रश्नगत गाटे में 1368 फसली की नवैयत झाड़ी के रूप में दर्ज हैं। जो कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2030 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं।	नहीं	नहीं	नहीं
		65	1.372	पहाड़	65	81/12मि०		178	कास्त		हां	हां	हां
		78य	25.378*	पहाड़	78य	81/26मि०		183	कास्त		हां	हां	हां
								184	कास्त				
								199	कास्त				
								200	कास्त				
								201	कास्त				

UltraTech Cement Limited  
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory


















निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आवेदक संस्था अल्ट्राटेक की ओर से डाला सीमेण्ट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यू0टी0सी0एल0/डी0एल0सी0डब्लू0/डी0एम0/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील लालगंज के कुल 66 गाटा कुल रकबा 267.246 हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि की उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों की जाँच की गयी। जाँच में कुल 31 गाटा कुल रकबा 115.687 हे० भूमि अयोग्य पायी गयी तथा कुल 35 गाटा कुल रकबा 151.559 हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पश्चात निर्गत किया जायेगा।

  
तहसीलदार  
लालगंज


  
ए० एन० मिश्रा

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
हलिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग  
मीरजापुर

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
पटेहरा

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
लालगंज

  
वन्य जीव प्रतिपालक, चुर्क  
कैमूर वन्य जीव विहार


  
उप-प्रभागीय  
वनाधिकारी, मीरजापुर


  
उप-जिलाधिकारी  
लालगंज

  
Ultra Tech Projects Limited  
Ultra Tech Projects Limited  
Authorized Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।

  
उप जिलाधिकारी  
लालगंज, मीरजापुर।  
उप जिलाधिकारी, लालगंज  
मीरजापुर

  
प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर  
वन प्रभाग, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी  
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

Ujjain Cement Limited  
Ujjain, Madhya Pradesh

Authorized Signatory

**वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या**  
तहसील मझिहान जनपद मीरजापुर

क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा(है०)	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ० के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व दिगम की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संगुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	रैकरा	699घ०मि०	3.684	झाड़ी	-	-	699घ०मि०	699घ०मि०	जंगल	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नवैयत में जंगल एवं चरान्न नवैयत में झाड़ी के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
		101उ०मि०	2.126	बंजर	-	-	101उ०मि०	198	वन दीगर	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नवैयत का अंश भाग वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
					-	-		201मि०	बंजर दीगर				
					-	-		202मि०	बंजर दीगर				
					-	-		203मि०	बंजर दीगर				
					-	-		280	बंजर दीगर				
					-	-		283	बंजर दीगर				
					-	-		284मि०	बंजर दीगर				
					-	-		278	बंजर दीगर				
					-	-		285	बंजर दीगर				
					-	-		349मि०	बंजर दीगर				
					-	-		473मि०	बंजर दीगर				
					-	-		480	बंजर दीगर	पुराना गाटा संख्या 480 धारा 20 के गजट में विज्ञापित है जिसका क्षेत्रफल 1 बीघा 11 बिस्वा 16 दिरवांरी है।			
					-	-		481मि०	बंजर दीगर	पुराना गाटा संख्या 481 धारा 20 के गजट में विज्ञापित है जिसका क्षेत्रफल 6 बीघा 11 दिरवा है।			
		108घ०मि०	4.236	बंजर	-	-	108घ०मि०	यह भारतीय नो ए.आर.ओ. में मौजूद नहीं है		प्रश्नगत गाटा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत 108 कुल रकबा एवं धारा 20 के गजट में 108 भाग रकबा के रूप में विज्ञापित है।	नहीं	नहीं	नहीं
		241क	0.460	बंजर	-	-	241क	669	वन दीगर	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नवैयत का अंश भाग वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
					-	-		681	बंजर दीगर				


Signature

		276इ.मि०	0.400	बजर			276इ.मि०	753	वन दीगर	प्रसंगत गाट नं 1359 कावली की नदीगत का अरु वन वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं सर्वेक्षण नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(1) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
								756	बजर दीगर				
		304ख	2.800	बजर			304ख	768	वन दीगर	प्रसंगत गाट नं 1359 कावली की नदीगत का अरु वन वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं सर्वेक्षण नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(1) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
								769	बजर दीगर				
		395क	0.250	बजर			395क	993मि०	वन दीगर	प्रसंगत गाट नं 1359 कावली की नदीगत का अरु वन वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं सर्वेक्षण नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(1) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं

निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 03 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आनंदक सरथा अल्पादेक की ओर से आला सीनेगट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यूटी0सी0एल0/डी0एल0सी0डब्लू0/डी0एग0/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील मडिहान, मीरजापुर के कुल 16 गाटा कुल रकबा 30.382 हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रण पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्गीत भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों जाँच की गयी। जाँच में कुल 07 गाटा कुल रकबा 13.968 हे० भूमि वनीकरण हेतु अयोग्य पायी गयी तथा कुल 9 गाटा कुल रकबा 16.414 हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पर्याप्त निमित्त किया जायेगा।

  
तहसीलदार  
मडिहान

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
पटहसा

  
उप प्रभोग्य प्रभधिकारी,  
मुनार

  
उप जिलाधिकारी  
मडिहान

UltraTech Cement Limited  
Unit: Dulla Cement Works

Authorised Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।



उप जिलाधिकारी  
मड़िहान, मीरजापुर।

उप जिलाधिकारी  
मड़िहान, मीरजापुर



प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर  
वन प्रभाग, मीरजापुर।

UltraTech Cement Limited  
Unit: Dulla Cement Works

Authorised Signatory